GA-114
07.03.18

<u>शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध</u>

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

OFFICE OF THE REGISTRAR LUCKNOW UNIVERSITY
No. 743

सेवा में,

1. **कुलसचिव,**
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

पत्रांक डिग्री विकास / 17656 / 2017–18, दिनांक 23.02.2018

विषय : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के प्राविधानों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–499 / सत्तर–3–2018–07(108) / 2017, दिनांक 23 फरवरी, 2018, सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या–26 / सत्तर–2018, लखनऊ, दिनांक 09 फरवरी, 2018 एवं विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–5 के पत्र संख्या–रिट–130 / सत्तर–5–2017–73(81) / 2017, दिनांक 12 जनवरी, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिव्यांगजन अधिकारों से सम्बन्धित विषयों के सन्दर्भ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49 / 2016) विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित है। उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अधिनियम के प्राविधानों का लागू किये जाने की समीक्षा की जा रही है। उपरोक्त पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 का अनुपालन उच्च शिक्षा विभाग के सन्दर्भ में सुनिश्चित करें तथा आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

तदक्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 में दिये गये प्राविधानों (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 का राजपत्र 'विधि एवं न्याय मंत्रलय' (भारत सरकार) के वेबसाइट पर उपलब्ध है।) का तथा पत्र के साथ संलग्न रिट याचिका संख्या–(सी0) / 132 / 2016 व 876 / 2017 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2017 का सम्यक रूप से अनुशीलन कर लें तथा उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के सम्यक अनुपालन में यदि कोई जिज्ञासा या कठिनाई उत्पन्न हो रही हो, तो निदेशालय स्तर पर नामित नोडल अधिकारी <u>डा0 इन्दु प्रकाश सिंह के दूरभाष नम्बर 9415262299</u> पर सम्पर्क कर कठिनाई का निवारण किया जा सकता है। शासन के पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2018 द्वारा यह भी निर्देश हुआ है कि दिव्यांगजन

"A" / DR (Admission) (GA) / Admission Coordinator, LU. / All Dean / HoDs

REGISTRAR
Sign. 24/2/18

OS/DR

If agreed letter may be forwarded to Incharge website with request to kindly E-mail the concerned mentioned on 'A' by Registrar Sir
28/2/18
15/03

सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की आख्या उच्च शिक्षा निदेशालय में डा0 इन्दु प्रकाश सिंह, नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। नोडल अधिकारी द्वारा अनुपालन के सम्बन्ध में प्राप्त आख्याओं का संकलन कर समेकित रूप से अनुपालन आख्या शासन को प्रेषित की जायेगी।

प्रकरण अतिमहत्वपूर्ण तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों से आच्छादित है, अतः शीर्ष प्राथमिकता, समयबद्धता तथा व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। कृपया अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

संलग्नक– उक्तवत्।

भवदीय,

डा0 (प्रीति गौतम)
शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या : डिग्री विकास/ /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– सचिव, (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4– विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5– संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
7– डा0 इन्दु प्रकाश सिंह, नोडल अधिकारी (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016) उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय तथा समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश के साथ समन्वय स्थापित करते हुये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 में दिये गये उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

डा0 (प्रीति गौतम)
शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

आज

अतिमहत्वपूर्ण / समयबद्ध

संख्या–499 / सत्तर–3–2018–07(108) / 2017

प्रेषक,

श्रवण कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

1– निदेशक,
उच्च शिक्षा, उ0प्र0,
इलाहाबाद।

2– कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–3 लखनऊ: दिनांक 23 फरवरी, 2018

विषय:–दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन कराए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–26 / सत्तर–1–2018, दिनांक 09–02–2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन उच्च शिक्षा विभाग के संदर्भ में सुनिश्चित कराए जाने तथा अनुपालन आख्या शासन को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए है। अद्यतन अनुपालन आख्या अप्राप्त है।

2– उपर्युक्त के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया दिव्यांगजन सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन किए जाने के सम्बन्ध में की गई कार्यवाही की आख्या उच्च शिक्षा निदेशालय में डा0 इन्दुप्रकाश सिंह, नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। नोडल अधिकारी द्वारा अनुपालन के सम्बन्ध में प्राप्त आख्याओं का संकलन कर समेकित रूप से अनुपालन आख्या शासन को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें। बैठक दि० 26-2-18 हेतु [illegible]

भवदीय,

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या–499(1) / सत्तर–3–2018–तद्दिनॉक–

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं उपर्युक्तानुसार कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– उच्च शिक्षा अनुभाग–1
2– डा0 इन्दुप्रकाश सिंह, नोडल अधिकारी, उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद।

आज्ञा से,

(श्रवण कुमार सिंह)
संयुक्त सचिव।

संख्या– 26 /सत्तर–1–2018–

प्रेषक,

रमेश मिश्र,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,
उच्च शिक्षा विभाग,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
2. कुलसचिव,
समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
उत्तर प्रदेश।
3. समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

उच्च शिक्षा अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक : 9 फरवरी, 2018

विषयः– दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिव्यांगजन अधिकारों से सम्बन्धित विषयों के संदर्भ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49/2016) विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित है।

2– उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अधिनियम के प्राविधानों को लागू किये जाने की समीक्षा की जा रही है।

कृपया दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 का अनुपालन उच्च शिक्षा विभाग के सदर्भ में सुनिश्चित करें तथा आख्या शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

(रमेश मिश्र)
सचिव

डा० आर्इ. पी. सिंह

संख्या– 26 (1)/सत्तर–1–2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद्, इंदिरा भवन, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि कृपया अपने स्तर से समस्त सम्बन्धित को परिचालित करते हुये सूचनाएं संकलित करें तथा शासन को शीघ्र उपलब्ध करायें।

(2) समस्त अनुभाग, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को इस आशय से प्रेषित कि अपने अनुभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर प्रभावी अनुश्रवण सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(मधु जोशी)
विशेष सचिव।

18/2/18

13-2-18

s.o/g.o-2/c-3

शीर्ष प्राथमिकता / समयबद्ध

प्रेषक,

शिक्षा निदेशक (उ0शि0),
शिक्षा डिग्री विकास अनुभाग,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

सेवा में,

1. **कुलसचिव,**
   समस्त राज्य विश्वविद्यालय,
   उत्तर प्रदेश।
2. **समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी,**
   उत्तर प्रदेश।

पत्रांक डिग्री विकास/ /2017–18, दिनांक 23.02.2018

विषय : दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के प्राविधानों का अनुपालन कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या–499/सत्तर–3–2018–07(108)/2017, दिनांक 23 फरवरी, 2018, सचिव, उच्च शिक्षा, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा अनुभाग–1 के पत्र संख्या–26/सत्तर–2018, लखनऊ, दिनांक 09 फरवरी, 2018 एवं विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–5 के पत्र संख्या–रिट–130/सत्तर–5–2017–73(81)/2017, दिनांक 12 जनवरी, 2018 का सन्दर्भ ग्रहण करना चाहें, जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि दिव्यांगजन अधिकारों से सम्बन्धित विषयों के सन्दर्भ में दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 (केन्द्रीय अधिनियम संख्या–49/2016) विधि एवं न्याय मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली की अधिसूचना दिनांक 28 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रख्यापित है। उत्तर प्रदेश सरकार के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा अधिनियम के प्राविधानों का लागू किये जाने की समीक्षा की जा रही है। उपरोक्त पत्र में यह भी निर्देश दिया गया है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 का अनुपालन उच्च शिक्षा विभाग के सन्दर्भ में सुनिश्चित करें तथा आख्या शासन को उपलब्ध करायें।

तद्क्रम में आपसे अपेक्षा की जाती है कि दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 में दिये गये प्राविधानों (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 का राजपत्र 'विधि एवं न्याय मंत्रलय' (भारत सरकार) के वेबसाइट पर उपलब्ध है।) का तथा पत्र के साथ संलग्न रिट याचिका संख्या–(सी0)/132/2016 व 876/2017 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2017 का सम्यक रूप से अनुशीलन कर लें तथा उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं पर क्रियान्वयन सुनिश्चित करायें।

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 के सम्यक अनुपालन में यदि कोई जिज्ञासा या कठिनाई उत्पन्न हो रही हो, तो निदेशालय स्तर पर नामित नोडल अधिकारी डा0 इन्दु प्रकाश सिंह के दूरभाष नम्बर 9415262299 पर सम्पर्क कर कठिनाई का निवारण किया जा सकता है। शासन के पत्र दिनांक 23 फरवरी, 2018 द्वारा यह भी निर्देश हुआ है कि दिव्यांगजन

सशक्तिकरण अधिनियम, 2016 के प्राविधानों का अनुपालन किये जाने के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की आख्या उच्च शिक्षा निदेशालय में डा0 इन्दु प्रकाश सिंह, नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराने का कष्ट करें। नोडल अधिकारी द्वारा अनुपालन के सम्बन्ध में प्राप्त आख्याओं का संकलन कर समेकित रूप से अनुपालन आख्या शासन को प्रेषित की जायेगी।

प्रकरण अतिमहत्वपूर्ण तथा मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिये गये दिशा निर्देशों से आच्छादित है, अतः शीर्ष प्राथमिकता, समयबद्धता तथा व्यक्तिगत ध्यान अपेक्षित है। कृपया अविलम्ब कार्यवाही सुनिश्चित करते हुये कृत कार्यवाही से अधोहस्ताक्षरी को भी अवगत करायें।

संलग्नक– उक्तवत्।

भवदीय,

डा0 (प्रीति गौतम)
शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

पृष्ठांकन संख्या : डिग्री विकास/ 17656–63 /उसी तिथि को।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– अपर मुख्य सचिव (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2– सचिव, (उच्च शिक्षा), उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
3– विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
4– विशेष सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–5, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
5– संयुक्त सचिव, उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
6– अपर सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य उच्च शिक्षा परिषद, लखनऊ।
7– डा0 इन्दु प्रकाश सिंह, नोडल अधिकारी (दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016) उच्च शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0, इलाहाबाद को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त कुलसचिव, राज्य विश्वविद्यालय तथा समस्त क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, उत्तर प्रदेश के साथ समन्वय स्थापित करते हुये दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम–2016 में दिये गये उच्च शिक्षा विभाग से सम्बन्धित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये कृत कार्यवाही से शासन को भी अवगत करायें।

डा0 (प्रीति गौतम)
शिक्षा निदेशक(उच्च शिक्षा),
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश

संख्या-रिट-130/सत्तर-5-2017-73(81)/2017

प्रेषक,

मधु जोशी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उच्च शिक्षा,
उ0प्र0, इलाहाबाद।

उच्च शिक्षा अनुभाग-5 लखनऊः दिनांकः 12 जनवरी, 2018

विषयः-रिट पिटिशन संख्या-(सी0)/132/2016 व 876/2017 में मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2017 के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 04.12.2017 की प्रति संलग्न कर प्रेषित करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया अपने से संबंधित बिन्दुओं का अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीया,
(मधु जोशी)
विशेष सचिव

986 (paal -G O) 2015

Rehabilitation Council of India,
B-22, Qutab Institution Area,
New Delhi, Delhi-110016
Through Member Secretary

... Respondent No. 5
in W.P.(C)No. 876 of 2017

WRIT PETITION (C) NO. 132 OF 2016 & 876 of 2017
(UNDER ARTICLE 32 OF THE CONSTITUTION OF INDIA)

...PETITIONERS

RAJNEESH KUMAR PANDEY & ORS.ETC.

-VERSUS-

...RESPONDENTS

UNION OF INDIA & ORS. ETC.

Sir,

In continuation to this Registry's letter dated 26.10.2017, I am directed to forward herewith a certified copy of the order of this Court as contained in the Record of Proceeding dated 04.12.2017 passed in the matters above-mentioned, for your information, necessary action and compliance.

Please acknowledge receipt.

Yours faithfully,

8/12/17
ASSISTANT REGISTRAR

Copy to:
Mr. Satyajeet Kumar, Advocate
E-32, Basement,
Jangpura, New Delhi-110014

Mr. G.S. Makker, Advocate
Central Agency, SCI

Ms. Sunita Rao, Advocate
239, New Lawyer's Chambers, SCI

Mr. Vinay Garg, Advocate
102, Lawyer's Chambers, SCI

8/12/17
ASSISTANT REGISTRAR

BY SPEED POST

All Communications should be addressed to the Registrar, Supreme Court by designation, NOT by name

SUPREME COURT
INDIA
NEW DELHI
D.No.1061/16/X
7th December, 2017

FROM ASSISTANT REGISTRAR

TO,

1. Union of India,
Through Secretary,
Ministry of Human Resource & Development,
Government of India, Central Secretariat,
New Delhi ...Common Respondent No. 1 in both the matters

State of Uttar Pradesh,
Through Chief Secretary,
Civil Secretariat,
Lucknow, Uttar Pradesh ...Respondent No. 2 in W.P.(C) No. 132 of 2016

3. Principal Secretary,
Higher Education, Uttar Pradesh,
Secretariat, Lucknow, U.P. ...Respondent No. 3 in W.P.(C) No. 132 of 2016

4. Principal Secretary,
Basic Education, Secretariat,
Lucknow, Uttar Pradesh ...Respondent No. 4 in W.P.(C)No. 132 of 2016

5. Rehabilitation Council of India,
B-22, Qutab Institution Area,
New Delhi, Delhi-110016
Through its Chairman ... Respondent No. 5 in W.P.(C)No. 132 of 2016

Chief Secretary,
Govt. of Punjab,
Room No. 26, 6th Floor,
Punjab Civil Secretriate,
Sector 1, Chandigarh-160009 ...Respondent No. 2 in W.P.(C)No. 876 of 2017

Secretary Education,
Department of Education,
Govt. of Punjab,
Room NO. 607, 6th Floor,
Punjab Mini Secretriate, Sector 9,
Chandigarh-160009 ...Respondent No. 3 in W.P.(C)No. 876 of 2017

8. Director General of School Education,
Govt. of Punjab Vidya Bhawan (P.S.E.B.),
Block-E, 5th Floor, Phase VIII,
S.A.S. Nagar,
(Mohali)-Punjab – 160062 ...Respondent No. 4 in W.P.(C)No. 876 of 2017

..2/-

26/12/17

565653

ITEM NO.14 COURT NO.1 SECTION X

SUPREME COURT OF INDIA
RECORD OF PROCEEDINGS

Writ Petition (Civil) No.132/2016

RAJNEESH KUMAR PANDEY & ORS. Petitioner(s)

VERSUS

UNION OF INDIA & ORS. Respondent(s)

(With appln.(s) for intervention and exemption from filing O.T.)

WITH W.P.(C) No.876/2017 (X)

Date : 04-12-2017 These matters were called on for hearing today.

CORAM :
HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE A.M. KHANWILKAR
HON'BLE DR. JUSTICE D.Y. CHANDRACHUD

Certified to be true copy
Assistant Registrar(Judl.)
2017
Supreme Court of India

For Petitioner(s)
Mr. Ashok Agarwal, Adv.
Mr. Prashant Shukla, Adv.
Mr. Dushyant Parasar, Adv.
Ms. Shreya Mishra, Adv.
Mr. Satyajeet Kumar, AOR

For Respondent(s)
Mr. Maninder Singh, ASG
Mr. A.K. Panda, Sr. Adv.
Mr. Amit Shrma, Adv.
Mr. Vijay Prakash, Adv.
Mr. Gurmeet Singh Makker, AOR

Mr. Anuvrat Sharma, AOR

Mr. N.M. Popli, Adv.
Ms. Anuja Saxena, Adv.
Mrs. B. Sunita Rao, AOR

Ms. Pallavi Mohan, Adv.
Ms. Sanjana Srikumar, Adv.
Ms. Nivedita Saksena, Adv.
Ms. Rashmi Nandakumar, AOR

Ms. Aishwarya Bhati, AAG
Mr. Vinay Garg, AOR
Mr. Upendra Mishra, Adv.

Ms. Uttara Babbar, Adv.
Ms. Akanksha Choudhary, Adv.
Ms. Bhavana D., Adv.

UPON hearing the counsel the Court made the following

O R D E R

In pursuance of our earlier order, an affidavit has been filed by the Special Secretary Primary Education, Government of U.P., Lucknow.

It is stated in the affidavit that the State of U.P. is keen to have special schools having special teachers for imparting education to the disabled children who cannot be imparted education in normal schools. Ms. Aishwarya Bhati, learned Additional Advocate General appearing for the State of U.P. relying on the affidavit and the instructions has submitted that sixteen special schools have already been established and the teachers have been appointed and presently the schools are functional. The special schools are imparting education to visually impaired, hearing and speech impaired, mentally disabled and physically disabled children. It is submitted by her that the schools have residential facilities and they also admit students who belong to non-residential category. A chart has been filed indicating to the said effect.

We have been apprised that seven schools for visually impaired are situated in Lucknow, Gorakhpur, Banda, Saharanpur and Meerut and five schools for hearing and speech impaired in Gorakhpur, Bareilly, Agra, Farukhabad and Lucknow. As far as the mental disability is concerned, there are two schools which are running at Allahabad and Lucknow. There are two special schools for the physically disabled at

Lucknow and Pratapgarh. That apart, submits Ms. Bhati that seventeen more schools are under construction.

At this juncture, learned counsel for the petitioners have drawn our attention to Section 2(m) of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (for short, 'the 2016 Act'). The said provision defines "inclusive education", which reads as follows:-

> "'inclusive education' means a system of education wherein students with and without disability learn together and the system of teaching and learning is suitably adapted to meet the learning needs of different types of students with disabilities".

Learned counsel have also commended us to Section 16, which reads as follows:-

> "16. *Duty of educational institutions.*- The appropriate Government and the local authorities shall endeavour that all educational institutions funded or recognised by them provide inclusive education to the children with disabilities and towards that end shall -
>
> (i) admit them without discrimination and provide education and opportunities for sports and recreation activities equally with others;
>
> (ii) make building, campus and various facilities accessible;
>
> (iii) provide reasonable accommodation according to the individual's requirements;
>
> (iv) provide necessary support individualised or otherwise in environments that maximise academic and social development consistent with the goal of full inclusion;
>
> (v) ensure that the education to persons who are blind or deaf or both is imparted in the most appropriate languages and modes and means of communication;

(vi) detect specific learning disabilities in children at the earliest and take suitable pedagogical and other measures to overcome them;

(vii) monitor participation, progress in terms of attainment levels and completion of education in respect of every student with disability;

(viii) provide transportation facilities to the children with disabilities and also the attendant of the children with disabilities having high support needs."

Stress is laid on Sections 16(i) and (iv).

Section 17 of the 2016 Act provides for specific measures for promotion and facilitation of inclusive education so that the students who have been suffering from any kind of disability are not kept away from the main stream of education.

Ms. Aishwarya Bhati shall apprise this Court on the next date of hearing by way of an affidavit how the State is going to work out the provisions of the Act by providing inclusive education in the State. The affidavit shall be filed by the Secretary, Department of Education, Government of U.P. The said authority while filing the affidavit shall keep in view the language employed in Section 3 of the Act which deals with equality and non-discrimination. The affidavit shall also contain the number of disabled children in the State of U.P. and the categories of the disability.

Though an affidavit has been filed with regard to the establishment and imparting of education to the disabled students who requires special teaching, yet we think it appropriate to get the same verified by a two-Member Committee and, accordingly, we nominate Mr. Rishi Malhotra and Mr. Gopal Shankaranarayanan, learned

counsel, as the members of the Committee, who shall visit the schools and file a report within six weeks hence. The State of U.P. shall make all arrangements for the visit and assessment by Committee.

List the matter in the third week of January, 2018.

04/12/2017

(Chetan Kumar)
Court Master

4/12/17

(H.S. Parasher)
Assistant Registrar

4/12